भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 575
दिनांक 06.02.2024 को उत्तरार्थ

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

†575 श्री सुशील कुमार रिंकू :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अंतर्गत पंजाब के किन-किन जिलों को शामिल किया गया है;
(ख) बीआरजीएफ के अंतर्गत पंजाब राज्य को कुल कितनी निधियां आवंटित की गई हैं ;
(ग) देश में इसके लिए निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों सहित तत्संबंधी अनुक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों को शामिल करने के अनुदेशों में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क): पंजाब के एक जिले, होशियारपुर को 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा कार्यान्वित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम (जिला घटक) के तहत शामिल किया गया था।

(ख): 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान बीआरजीएफ कार्यक्रम की दो श्रेणियों अर्थात् विकास अनुदान (जिला को) और क्षमता निर्माण (राज्य को) के तहत पंजाब राज्य को कुल 76.70 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

(ग): बीआरजीएफ कार्यक्रम एक मांग आधारित कार्यक्रम था जिसमें मौजूदा विकासात्मक प्रवाह को पूरा करने और परिवर्तित करने तथा स्थानीय बुनियादी ढांचे और अन्य विकास आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटने के लिए राज्यों/जिलों को 100% अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में निर्बाध धनराशि जारी की गई थी। इस दिशा में बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत शामिल 28 राज्यों में 272 जिलों को एमओपीआर द्वारा बीआरजीएफ कार्यक्रम की परिचालन अवधि के दौरान 27,638.11 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया ।

(घ): नहीं महोदय। बीआरजीएफ कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन से अलग कर दिया गया है।

(ड.): उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

*****